

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 201]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

केन्द्रीय विद्युत विनियामक मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

सं. एल-1/18/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड 4 सं. 162) में तारीख 29.4.2016 को प्रकाशित किए गए थे।

उपरोक्त विनियमों के विनियम 1(2) में यह उपबंधित किया गया था कि उपविनियम 6.3ख उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को आयोग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

विनियम 6.3ख, 6 और 7 के अधीन यथाअपेक्षित रिजर्व सेटेडाउन संबंधी विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया तथा प्रतिकर के लिए कार्यप्रणाली आयोग द्वारा तारीख 5.4.2017 को जारी कर दी गई है।

अतः अब, सभी संबंधितों को जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 तथा रिजर्व सेटेडाउन संबंधी विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया तथा प्रतिकर के लिए कार्यप्रणाली 15.5.2017 से प्रवृत्त होगी।

ह0/-

टी. राजत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/4/आस./67/17]